रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062025-263695 CG-DL-E-10062025-263695

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 415] No. 415] नई दिल्ली, सोमवार, जून 9, 2025/ज्येष्ठ 19, 1947 NEW DELHI, MONDAY, JUNE 9, 2025/JYAISTHA 19, 1947

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2025

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2025

- सं. पीएफआरडीए/05/1/0025/2017-एचआर.- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 11 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2015 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाए जाते हैं, नामतः -
- 1. इन विनियमों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जाएगा।
- 2. ये विनियम, शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

3711 GI/2025 (1)

- 3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2015 में:-
- (।). विनियमों की अनुसूची में, तालिका ['सीधी भर्ती के लिए आयु, योग्यता और अनुभव, ग्रेड ए / बी / सी के लिए योग्यता' शीर्षक वाली तालिका] की पंक्ति 4 के कॉलम 3 में "कंप्यूटर / सूचना प्रौद्योगिकी में" शब्दों के बाद तथा "तकनीकी शाखा (सूचना प्रणाली) में अधिकारियों के लिए" शब्दों से पहले, निम्नलिखित शब्द प्रविष्ट किए जाएंगे :

"या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री / एआई और एमएल में विशेषज्ञता के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर्स / एआई और एमएल में विशेषज्ञता के साथ विज्ञान में स्नातक की डिग्री / एआई और एमएल में विशेषज्ञता के साथ सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर योग्यता (न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि वाले) के साथ किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री "

डॉ. दीपक महान्ती, अध्यक्ष [विज्ञापन-III/4/असा./148/2025-26]

फुटनोट:

- 1. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2015 को भारत के राजपत्र में दिनांक 14 मई 2015 की अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/11 के माध्यम से प्रकाशित किया गया और बाद में इसे निम्नानुसार संशोधित किया गया -
- i. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2018 को भारत के राजपत्र
 में दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/11 के माध्यम से प्रकाशित किया
 गया था।
- ii. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2020 को भारत के राजपत्र में दिनांक 28 अप्रैल, 2020 की अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/11 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।
- iii. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2021 को भारत के राजपत्र में दिनांक 24 मार्च, 2021 की अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/11 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।
- iv. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2021 को भारत के राजपत्र में दिनांक 1 जुलाई, 2021 की अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/11 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।
- v. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2022 को भारत के राजपत्र में दिनांक 13 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/11 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY NOTIFICATION

NEW DELHI, the 29 May, 2025

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (EMPLOYEES' SERVICE) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2025

No. PFRDA/05/1/0025/2017-HR.- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11 read with clause (b) of sub-section (2) of section 52 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to further amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) Regulations, 2015, namely: -

- 1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2025.
- 2. These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) Regulations, 2015:
- (I). In the Schedule to the regulations, in column 3 of row 4 of the table [under heading- Age, Qualification & Experience for Direct recruits, for qualification for Grade A/B/C] after the words "in computers / Information technology" and before the words "for officers in Technical Stream (Information System)", the following words shall be inserted:

"OR Bachelor's Degree in Engineering with specialization in Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) / Masters in Computer Application with specialization in AI and ML / Bachelor's Degree in Science with specialization in AI and ML/ Bachelor's Degree in any discipline with a post graduate qualification (minimum 2 years duration) in computers/information technology with specialization in AI and ML"

Dr. DEEPAK MOHANTY, Chairperson [ADVT.-III/4/Exty./148/2025-26]

Footnote:

- The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 14th May, 2015 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/11; and subsequently amended by -
- i. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) (First Amendment) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on 31st October, 2018 vide Notification No. PFRDA/12/RGL/139/11.
- ii. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2020 were published in the Gazette of India on 28th April, 2020 vide Notification No. PFRDA/ 12/RGL/139/11.

- iii. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2021 were published in the Gazette of India on 24th March, 2021 vide Notification No. PFRDA/12/RGL/139/11.
- iv. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2021 were published in the Gazette of India on 1st July, 2021 vide Notification No. PFRDA/12/RGL/139/11.
- v. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2022 were published in the Gazette of India on 13th April, 2022 vide Notification No. PFRDA/12/RGL/139/11.